



मध्यप्रदेश शासन  
जल संसाधन विभाग,  
-:: मंत्रालय ::-  
वल्लभ भवन भोपाल

E-mail (us.mpwr.d.bpl@mp.gov.in)

पत्र क्रं.-22(ए)381/2019/एमपीएस/31 / 221

भोपाल दिनांक-02/03/2019

प्रति,

प्रमुख अभियंता,  
जल संसाधन विभाग,  
भोपाल ।

विषय :- छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना की प्रशासकीय स्वीकृति ।

७-000-७

राज्य शासन एतद् द्वारा छिंदवाड़ा जिले की छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना का कुल सैच्य क्षेत्र 1,90,500 हेक्टर हेतु राशि रूपये 5470.95 करोड़ (पाँच हजार चार सौ सत्तर करोड़ पंचानबे लाख) की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है ।

2. छिंदवाड़ा सिंचाई कॉम्प्लेक्स परियोजना के अंतर्गत संगम बांध 1, संगम बांध 2, जामघाट बांध, पलासपानी बांध, रामघाट बैराज एवं जोगिनी बैराज परियोजना सम्मिलित हैं ।
3. परियोजना पर व्यय मांग संख्या 23/4700 (मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय) के अंतर्गत विकलनीय होगा ।
4. यह आदेश मंत्रि-परिषद की बैठक दिनांक 26.02.2019 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में जारी किया जा रहा है ।

9/3/19  
02/3/19  
(विनोद सिंह टेकाम)  
उप सचिव  
म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग

पृ. क्रं.-22(ए)381/2019/एमपीएस/31 / 222  
प्रतिलिपि :-

भोपाल दिनांक-02/03/2019

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र.शासन, योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी/आदिम जाति कल्याण/नर्मदा घाटी विकास विभाग/कृषि विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय भोपाल ।
3. मुख्य अभियंता, (बोधी) जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
4. मुख्य अभियंता, बैन-गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, सिवनी ।



---: 2 :---

5. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मण्डल, छिंदवाड़ा/सिवनी ।
6. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, छिंदवाड़ा।
7. निज सचिव, मा. मंत्रीजी, जल संसाधन विभाग, भोपाल ।
- ✓ 8. वैब मैनेजर, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर विभागीय वैबसाईड पर प्रकाशित करने हेतु ।

वि.प्र.  
02/3/19

उप सचिव

म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग